

9

दिधि	आदेश	आदेश पर की गई कार्यवाई की टिप्पणी सहित
------	------	--

13/2/08

The Bihar Land Reforms fixation of ceiling area and acquisition of surplus land Act 1961 section 16(3) (1) के अंतर्गत आवेदक श्री प्रेम प्रकाश राम सा0 : महेशमुण्डा थाना : गांडेय के द्वारा Pre-emption Right हेतु लाए गए इस वाद में निहित भूमि कि विवरणी निम्न है-

मौजा	थानान0	खातान0	खेसरान0	रकवा
महुआर ए0	17	37	1923	0.185

वाद की सुनवाई की तिथियों में उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिए गये तर्कों को सुना गया । आवेदक पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि वादगत भूखण्ड से संबंधित निष्पादित विक्री विलेख संख्या 8864 दिनांक 17.07.2004 के Recital में उल्लेखित चौहदी- दक्षिण में जुजो प्लोट के अनुसार इसमें उनके अंश की भूमि अवस्थित है । आवेदक एवं निबंधित विक्री विलेख संख्या 8864 दिनांक 17.07.2004 के विक्रेता सगे भाई है , और इस आधार पर आवेदक वादगत भूखण्ड के अरिया रैयत के साथ-साथ भूमि के अंश धारक भी है जबकि विपक्षी वादगत भूखण्ड के न तो अरिया रैयत है और न ही अंश धारक । आवेदक के द्वारा भूमि के विक्री मूल्य के साथ - साथ उसके 10 प्रतिशत की अतिरिक्त राशि कोषागार चालान के द्वारा सरकारी खाता में जमा करा दी गई है इसलिए आवेदक पक्ष के Pre-emption Right को स्वीकृत किये जाने का अनुरोध विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा किया गया ।

विपक्षी श्री संतशरण राम वगैरह, पेशरान - सर्व0 लक्ष्मण राम साकिन - बेंगाबाद की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि वाद दायर किये जाने के पूर्व आवेदक पक्ष के द्वारा भूमि के क्रेता तथा विक्रेता पक्ष के नाम से कोई भी सूचना नहीं दी गई है, और न ही वाद दायर किये जाने हेतु दिये गये आवेदन में से सलग्न साक्ष्य सूची में इसका कोई उल्लेख है । विज्ञ अधिवक्ता के अनुसार लैण्ड सिंलिंग रूल 19 (3) का अनुपालन आवेदक पक्ष के द्वारा नहीं किया गया है । जबकि अधिनियम के 16 (3) के अनुसार यह एक अनिवार्य शर्त है । जे0 एल0 जे0 आर0 2006 (4) के पृष्ठ संख्या 562 में प्रकाशित डब्लू0 पी0 सी0 संख्या 6887/2001 में माननीय न्यायमूर्ति के द्वारा दिये गये नियमन - 1989 P. L.J.R - 103-Relied upon के अनुसार भी यह एक Manadatory Provision है । विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा आगे यह भी तर्क दिया गया कि वादि के आवेदन में Transferor को भी कहीं Implead नहीं किया गया है । A.I.R 1931 (Pat) Reported in 1995 तथा P.L.J.R (N.O.C) Page No.42 में प्रकाशित निर्णय के आलोक में भी इस प्रकार के आवेदन को fatal तथा विचारणीय नहीं माना गया है ।

उपर्युक्त किये गये तर्क उल्लेख के उपरांत वाद अभिलेख में उभय पक्ष के द्वारा दाखिल किये गये लिखित बहस - सार, साक्ष्य सूची तथा अभिलेख में सलग्न अन्य कागजातों के समग्र रूप में अवलोकन तथा उनके सम्यक विवेचन के उपरांत मैं पाता हूँ कि रूल 19 (3) का अनुपालन नहीं किये जाने के साथ- साथ Non -Impleading of Transferor संबंधि विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिया गया तर्क सही है । इनका अनुपालन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम के 16 (3) के अंतर्गत आवेदक के Pre-emption Right का दावा विचारण योग्य नहीं है अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है ।

उपसमाहर्ता भूमि सुधार
गिरिडीह ।